(d) Due to operational and resource constraints, this new train is not feasible.

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत हुई रेल दुर्घटनाएं

1993. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी माल गाड़ी एवं यात्री गाड़ियां दुर्घटना ग्रस्त हुई हैं,

(ख) इनमें से कितनी दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों एवं कितनी तकनीकी खामियों की वजह से हुई हैं,

(ग) इन दुर्घटनाओं से जन एवं धन की प्रति वर्ष हुई हानि का ब्यौरा क्या हैं, और

(घ) इस रेल मार्ग के अन्तर्गत रेल का कितना लंबी पटरियों को पुरानी हो जाने के कारण बदले जाने की आवश्यकता हैं, तथा इनकों बदले जाने के लिए की जा रही कार्यवाही ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना निम्नानुसार हैं :-

	1991-92	1992-93	1993-94
मालगाड़ियों की दुर्घटनाएं	65	82	85
यात्री गाड़ियों की दुर्घनाएं	20	25	19
मानवीय चूक के कारण दुर्घटनाएं	64	81	68
उपस्कर की खराबी के कारण दुर्घटनाएं	8	10	17
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	13	54	31
रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत (करोड़ रु. में)	6.51	13.80	22.51

(घ) 1.4.1997 को 2143 कि. मी. रेलपथ का नवीकरण करना शेष हैं । इसमें से 1429 कि.मी. रेलपथ नवीकरण के लिए स्वीकृत कर दिया गया हैं । 1997-98 के दौरान, 1429 कि.मी. रेलपथ में से 610 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण करने की योजना बनाई गई हैं । यह 1997-98 के दौरान 290 करोड़ रु. के बजट आबंटन पर आधारित हैं ।

भोपाल-झांसी खंड में रेलवे के सामान की चोरी

1994. **श्री राघव जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि मध्य रेलवे में भोपाल-झांसी के बीच स्लीपर्स, स्क्रेप आदि जैसे रेलवे के सामान की चोरी के मामले गत एक वर्ष के दौरान प्रकाश में आये हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) क्या चोरी के मामले में लिप्त अपराधी पकड़े गये हैं, यदि हां,तोउनके नाम क्या-क्या हैं तथा अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) गत वर्ष 1996 में एक प्रकरण पंजीकृत किया, जिसमें चोरी गई रेल संपत्ति कीमत रू. 70,000/- पूर्ण रूप से बरामद हुई एवं 5 बाहरी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । मामला न्यायालय में विचारधीन हैं ।

इस वर्ष 1997 माह जून तक तीन प्रकरण पंजीकृत किये जिनमे रु. 2,82,000/- कीमत की रेल संपत्ति चोरी गयी जिसमें से 2 प्रकरण में रु. 2,42000/- की रेलवे संपत्ति बरामद करके 8 बाहरी व्यक्ति और 5 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया व रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत जांच जारी हैं । रेल कर्मचारियों मे से 4 को निलम्बित किया गया एवं रेल पथ निरीक्षक को विदीशा से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया । गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

बाहरी व्यक्ति

लखन, मुन्ना, सियाराम, गुलाब, कल्लू, केशव-उत्तम सिंह, राजू

रेल कर्मियों के नाम

दयाराम, सुरेश चंद्र राजपूत, आर. सी. मीना. सियाराम वर्मा, बैजनाथ मिश्रा ।

द्रुत-परिवहन व्यवस्था हेतु सर्वेक्षण

1995. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडोदरा जंक्शन में मिलने वाली आठों सेक्शन की प्रत्येक रेल लाइन कें संबंध में दैनिक यातायात सर्वेक्षण कर लिया गया हैं ताकि द्रुत परिवहन व्यवस्था को लागू किया जा सकें,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,